

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2021/422

दिनांक : 26/04/21

आदेश

कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमण (Pandemic) तथा इससे उत्पन्न वर्तमान स्थिति से निपटने के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमण की रोकथाम हेतु नर्सिंग कर्मचारियों की कमी को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित नर्स श्रेणी प्रथम/द्वितीय, जो कि निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर में 'आदेशों की प्रतीक्षा में' हैं, को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, जयपुर में कार्य व्यवस्था हेतु लगाया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम
1	संतोष बामणिया	नर्स प्रथम
2	विजयलक्ष्मी कुमावत	नर्स द्वितीय
3	कृष्णा कुमारी सैन	नर्स द्वितीय
4	हिम्मताराम हटेला	नर्स द्वितीय
5	सुगन कुमारी	नर्स द्वितीय
6	शम्भुलाल	नर्स द्वितीय
7	तारा कुमारी	नर्स द्वितीय
8	संदीप कुमार मीणा	नर्स द्वितीय
9	रोहिताश कुमार	नर्स द्वितीय
10	कानी देवी	नर्स द्वितीय
11	रामकन्या प्रजापत	नर्स द्वितीय
12	सरिता कुमारी	नर्स द्वितीय
13	दिलीप कुमार	नर्स द्वितीय
14	सुमन कुमारी	नर्स द्वितीय
15	गीरा	नर्स द्वितीय
16	सुजा वर्गिस	नर्स द्वितीय
17	सुनिता	नर्स द्वितीय
18	पीयूष कुमार शर्मा	नर्स द्वितीय
19	देवराज गर्ग	नर्स द्वितीय
20	श्याम स्वरूप शर्मा	नर्स द्वितीय
21	पीयूष कटारा	नर्स द्वितीय
22	नन्दलाल	नर्स द्वितीय
23	नरेश कुमार शर्मा	नर्स द्वितीय
24	सुमिता कुमारी	नर्स द्वितीय
25	मधुबाला	नर्स द्वितीय
26	गणपत लाल	नर्स द्वितीय
27	प्रभूलाल डामोर	नर्स द्वितीय
28	सोनू सिंह	नर्स द्वितीय
29	वन्द्रपाल सिंह	नर्स द्वितीय

समस्त संबंधित कार्मिकों को इसी आदेश से वर्तमान स्थान से कार्यमुक्त किया जाता है तथा वह दिनांक 27.04.2021 तक आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को देना सुनिश्चित करेंगे।


(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2021/422

दिनांक : 26/06/21

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, कार्यालय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, कार्यालय राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।


निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर